भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 409
दिनांक 03 दिसंबर, 2025 / 12 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

नए कानूनों के तहत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य

409# श्री नीरज शेखरः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नए कानूनों के तहत आपराधिक कार्यवाही में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को महत्व दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समय पर न्याय प्रदान करने पर इन परिवर्तनों के प्रभाव का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) से (ग): भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएनएस), 2023 की धारा 254, धारा 265 और धारा 266 साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग और अभियोजन और बचाव गवाहों की जांच के लिए ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के उपयोग का प्रावधान करती है। इसके अलावा, बीएनएसएस की धारा 530 इलेक्ट्रॉनिक साधनों के उपयोग द्वारा सभी परीक्षणों, पूछताछ और कार्यवाही को इलेक्ट्रॉनिक मोड में आयोजित करने का प्रावधान करती है।

न्यायिक प्रक्रिया की गति, दक्षता और पारदर्शिता में उल्लेखनीय सुधार करने के लिए ई-साक्ष्य, ई-समन और न्याय-श्रुति (वीसी) जैसे एप्लीकेशन विकसित किए गए हैं। ई-समन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से समन की डिलीवरी की सुविधा प्रदान करता है। ई-साक्ष्य डिजिटल साक्ष्यों के वैध, वैज्ञानिक और छेड़छाड़-रहित संग्रह, संरक्षण तथा इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुति को सक्षम बनाता है, जिससे प्रामाणिकता सुनिश्चित होती है और कम देरी होती है। न्याय-श्रुति (वीसी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभियुक्तों, गवाहों, पुलिस अधिकारियों, अभियोजकों, वैज्ञानिक विशेषज्ञों, कैदियों आदि की आभासी (वर्चुअल) उपस्थिति की सुविधा प्रदान करती है।

राज्य सभा अता.प्र.सं. 409, दिनांक 03.12.2025

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपर्युक्त एप्लीकेशनों के माध्यम से नए आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन न्यायिक प्रक्रिया की गति, दक्षता एवं पारदर्शिता में सुधार करने में योगदान करता है, जिससे अधिक प्रभावी, प्रौद्योगिकी-संचालित, समय पर तथा नागरिक-अनुकूल न्याय प्रदायगी प्रणाली में सहायता मिलती है।

****